

प्रेषक:-

डा० आर०डी० रंजन,  
निदेशक प्रमुख,  
(रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, पारा मेडिकल)  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री बिन्दु कुमार पाण्डेय, बी०सी०जी० दलनायक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, पूर्णियाँ।  
श्री रामाधार प्रसाद सिंह, बी०सी०जी० दलनायक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बक्सर।  
श्री राम उदय ठाकुर, बी०सी०जी० दलनायक, छपरा, सारण।

पटना, दिनांक- / / 2019

विषय: दिनांक-16.03.2000 के प्रभाव से नवनियुक्त बी०सी०जी० दलनायकों की नियुक्ति तिथि का निर्धारण हेतु आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदनों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि दिनांक-16.03.2000 के प्रभाव से बी०सी०जी० दलनायकों की नियुक्ति तिथि का निर्धारण हेतु आपके द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आपकी नियुक्ति अवमाननावाद संख्या-1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-16.08.2018 एवं दिनांक-31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०सी०जी० दलनायक के पद पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापांक-937(11), दिनांक-15.09.2018 तथा पदस्थापन ज्ञापांक-982(11), दिनांक-28.09.2018 के द्वारा किया गया। आपके द्वारा दिनांक-16.03.2000 के प्रभाव से बी०सी०जी० दलनायक की नियुक्ति तिथि का निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया है। आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आलोक में निम्नांकित बिन्दु विचारणीय है:-

1. आपकी नियुक्ति विज्ञापन संख्या-01/97 के आलोक में बिहार-लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर अवमाननावाद 1711/2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिब्यू संख्या-133/2003 सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक-16.08.2018 एवं दिनांक-31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०सी०जी० दलनायक के पद पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ के ज्ञापांक-937(11), दिनांक-15.09.2018 तथा पदस्थापन ज्ञापांक-982(11), दिनांक-28.09.2018 के द्वारा जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार में की गई है। उक्त अवमाननावाद में नियुक्ति की तिथि का निर्धारण दिनांक-16.03.2000 को किये जाने संबंधी किसी तरह का आदेश नहीं है।
2. उल्लेखनीय है कि निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/97 में बी०सी०जी० दलनायक के पद हेतु योग्यता/अर्हता आई०एस०सी०(प्रशिक्षित/बंगलोर प्रशिक्षित) रखा गया था। बिहार लोक सेवा आयोग से उक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा में बंगलोर प्रशिक्षित नहीं रहने के कारण राज्य में प्रशिक्षण हेतु स्थापित दो यक्ष्मा संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र टी०बी०डी०सी०, पटना/दरभंगा से प्रशिक्षित उम्मीदवारों की ही नियुक्ति दिनांक-16.03.2000 को की गई। आपके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं होने के कारण तत्समय नियुक्ति नहीं की गई। विदित हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या-270-71/1997 में दिनांक-03.11.1997 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में गठित Monitoring Bench के द्वारा अवमाननावाद संख्या-2828/1998 में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेशों में विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षण नहीं रहने के कारण नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत करते हुए दिनांक-25.01.2006 को नियुक्ति संबंधी मामले को बन्द कर दिया गया।

3. सिविल रिव्यू संख्या-133/2003 सुदर्शन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-10.09.2014 को पारित न्यायादेश में सीधे नियुक्ति हेतु कोई Mandamus नहीं रहने के कारण नियुक्ति की कार्रवाई नहीं की जा सकी।
4. जहाँ तक आपके द्वारा समादेश याचिका संख्या-20654/2010 राजनारायण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं समादेश याचिका संख्या-16468/2016 चन्द्रकांत कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित पदों पर हुई प्रथम नियुक्ति की तिथि को वैचारिक योगदान की तिथि एवं अन्य वैचारिक लाभ तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का उल्लेख किया गया है, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त दोनों मामलों में नियुक्ति की कार्रवाई वर्ष 2002 में ही प्रारम्भ हो गई थी एवं संबंधित उम्मीदवारों के हस्ताक्षर में त्रुटि/डाक प्रेषण में विसंगति रहने के कारण, Monitoring Bench के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक-01.09.2005 (नई पेंशन योजना प्रारम्भ होने की तिथि) के पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी एवं कतिपय कारणों से उनकी नियुक्ति दिनांक-26.11.2005 को की गई, जबकि आपके मामले में Monitoring Bench के द्वारा उक्त अवमाननावाद में नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत करते हुए माह जनवरी 2006 में मामले को पूरी तरह बन्द कर दिया गया। चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय में गठित Monitoring Bench के द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं रहने के कारण नियुक्ति की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था इसलिए पूर्व में संबंधित पद पर नियुक्ति किये जाने का मामला बनता ही नहीं था।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पूर्व की सेवा को पेंशन के लिए गणना करने संबंधी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि दिनांक-31.08.2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त कर्मियों के लिए नयी पेंशन योजना का प्रावधान है, तथा बिहार पेंशन नियमावली के अन्तर्गत 10 वर्षों की सेवा के पश्चात् ही सेवा पेंशन प्रदायी मानी जाती है। वर्तमान में इस प्रकार की माँग अप्रासंगिक है।
6. उक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है, कि आपकी नियुक्ति अवमाननावाद संख्या-1711/2016 में दिनांक-16.08.2018 एवं दिनांक-31.08.2018 के आलोक में ही की गई है, जिसमें नियुक्ति की तिथि का निर्धारण अथवा किसी भी अन्य प्रकार के वैचारिक लाभ संबंधी कोई भी आदेश/निदेश नहीं है।

अतएव दिनांक-16.03.2000 के प्रभाव से नियुक्ति की तिथि का निर्धारण, अन्य वैचारिक लाभ तथा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की मांग किया जाना अतार्किक एवं असंगत पाये जाने के कारण अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(डा० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-11/टी०बी० (स्था०)-24/2018-290(11)/

दिनांक 20/3 /2019

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

20/3/19

निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।